प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक- 26 मार्च, 2021

विषय- प्रदेश की कारागारों एवं मा0 जनपद न्यायालयों में **चरणबद्ध** रूप से क्रियान्वित की गयी वीडियो कान्फ्रेंसिंग कार्ययोजना के प्रथम चरण में स्थापित 14 इकाईयों के पुनर्स्थापन हेतु क्रयानुमोदन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-25/2021/220/22-4-2021-119(ब)/2000टीसी-8(ए), दिनांक-25.02.2021 एवं अपने पत्र संख्या-7569/आधु-2/वीसी/2021, दिनांक-19 मार्च, 2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उप महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की बैठक दिनांक-04.02.2021 में की गयी संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त प्रदेश की कारागारों एवं मा0 जनपद न्यायालयों में **चरणबद्ध** रूप से क्रियान्वित की गयी वीडियो कान्फ्रेंसिंग कार्ययोजना के प्रथम चरण में स्थापित 14 इकाईयों के पुनर्स्थापन की व्यवस्था जैम पोर्टल के माध्यम से किये जाने के क्रम में निम्नलिखित 07 इकाईयों हेतु रू0 97,70,390,00 अर्थात रू0 97.70 लाख की लागत से शासनादेश दिनांक-25.02.2021 में उल्लिखित तालिका के क्रमांक-1 से 4 पर अंकित उपकरणों/वस्तुओं का क्रय किये जाने हेतु मैसर्स टेक्योन नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ के पक्ष में उक्त सीमा तक क्रय जाने हेतु क्रयानुमोदन निम्न विवरणानुसार अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान किया जाता है :-

	कारागार	मा0 जनपद न्यायालय	कुल इकाईयों	दर प्रति	कुल लागत
1	जि0का0 लखनऊ	लखनऊ	02	1395770	2791540
2	जि0का0 गाजियाबाद	गाजियाबाद	02	1395770	2791540
3	जि0का0 मेरठ	मेरठ	02	1395770	2791540
4	जि0का0 कानपुर नगर		01	1395770	1395770
		योग-	07	-	9770390

क- प्रश्नगत क्रय केन्द्रीयकृत क्रय प्रणाली के अन्तर्गत मात्रा अनुबन्ध के अधीन मामलों से संबन्धित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उघम अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-1/2018/868/18-2-2017-2(एस0पी0/2017, दिनांक-15 जनवरी, 2018 का पूर्ण अनुपालन करते हुए किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

ख- उपकरणों/मशीनों का क्रय सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए नियमानुसार सूक्ष्म लघु एवं मध्यम **उद्यम** विभाग द्वारा सामग्री एवं वस्तुओं/सेवाओं के क्रय हेतु निर्गत सुसंगत शासनादेश दिनांक 23.08.2017 के अनुसार किया जायेगा ।

ग- क्रय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता, न्यूनतम मूल्य दर, समयबद्ध आपूर्ति और उसका पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित करने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

घ- आपूर्तिकर्ता फर्मों एवं महानिरीक्षक कारागार के मध्य क्रय से पूर्व सम्यक् अनुबन्ध किया जायेगा।

ड.- क्रय की गयी सामग्री का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करते हुए उपयोग की वित्तीय/भौतिक रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

च- क्रय की कार्यवाही पूर्ण होने पर महानिरीक्षक कारागार द्वारा इसकी सूचना शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

भवदीय,

अवनीश कुमार अवस्थी
अपर मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-70/2021/463(1)/22-4-2021-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग (सामग्री क्रय अनुभाग), उ0प्र0 कानपुर।
3- अनु सचिव, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in